



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14032026-270948
CG-RJ-E-14032026-270948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 1267]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

रेल मंत्रालय

(उत्तर पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

जयपुर, 13 मार्च, 2026

का.आ. 1324(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	उत्तर पश्चिम रेलवे के खीमेल में बिजली आपूर्ति उन्नयन परियोजना	राजस्थान

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(North Western Railway)****NOTIFICATION**

Jaipur, the 13th March, 2026

S.O. 1324(E).— In exercise of the powers conferred by section 2, clause (37A) of the Central Government, Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) this notification notifies the project mentioned in column (2) of the table below, in the state mentioned in column (3) of the said table as a special railway project, effective from the date of publication of this notification in the Gazette-

TABLE

Sr. No.	Name of Project	State / UT
(1)	(2)	(3)
1	Power Supply Upgradation Project at Khimel in North Western Railway	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)